

अन्तिम डिक्री

डिक्री बमुकदमें इब्तादाई

अ. आदेश 20 नियम 6-7 व्या प्रक्रिया सहिता

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया

पीठासीन अधिकारी रमेश देव (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :- 449/2022

मूपेन्द्र सिंह पुत्र श्री जगसीर सिंह जाति जटसिख निवासी भगतपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)

- वादी

बनाम

1. कुलदीप कौर पत्नी श्री बूटा सिंह
2. केहर सिंह पुत्र श्री चुहड सिंह
3. गुरजिन्द्र सिंह पुत्र श्री जगसीर सिंह
4. गुरलाल सिंह पुत्र श्री बूटा सिंह
5. जसपाल सिंह पुत्र श्री बूटा सिंह
6. दिलबाग सिंह पुत्र श्री बूटा सिंह
7. रविन्द्र सिंह पुत्र श्री डिप्टी सिंह
8. सुखजीत सिंह पुत्र श्री ठाकर सिंह
9. गुरनाम सिंह पुत्र श्री जोगेन्द्र सिंह
10. गुरमेल सिंह पुत्र श्री जोगेन्द्र सिंह
11. गुरविन्द्र सिंह पुत्र श्री हरदेव सिंह
12. सुखसागर सिंह पुत्र तेजासिंह उर्फ तेजसिंह
13. हरदेव सिंह पुत्र श्री अजमेर सिंह
14. मनप्रीत कौर पत्नी स्व. श्री गुरलाल सिंह
15. करणदीप सिंह पुत्र स्व. श्री गुरलाल सिंह
16. पंजाब नेशनल बैंक शाखा दीनगढ़ जरिये शाखा प्रबन्धक
17. तहसीलदार (राजस्व) संगरिया

जाति समस्त जटसिख निवासी भगतपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)



- प्रतिवादीगण

वाद पत्र अं. धारा 53 आर.टी.ए.

दिनांक :- 07-07-2022

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ रमेश देव (आर.ए.एस.) के समक्ष वास्तें इनफिसाल कर्तई रोबरू हमारे बहाजरी श्री कुलदीप मूण्ड वकील वादी मिन जाभिन मुदई व श्री नक्षत्र सिंह सिद्ध वकील प्रतिवादीगण पेश होने पर तहसीलदार (राजस्व) संगरिया के पत्रांक प्रा. डिक्री/मू.अ./856 दिनांक 15.03.2023 से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पर उभयपक्ष अभिभाषकगण द्वारा सहमति देने पर वादीगण का वादपत्र मुताबिक खाता विभाजन अन्य सहकाशतकारो अन्तिम डिक्री किया जाता है।

चक 14 बी.जी.पी. के. खाता सं. 118/104

1. मूपेन्द्र सिंह पुत्र जगसीरसिंह जाति जटसिख निवासी भगतपुरा की कब्जा काशत का विवरण :- प.नं. 179/158 मु.न. 48 किला नं. 14, 17, 18. 23/0253 है. प्र. कुल 1.012 हैक्टेयर नहरी कृषि भूमि व खाता सं. 123/35 प.नं. 179/158 गु.नं. 48 किला नं. 5/1, 6/1, 15/1/0.228 है. प्र. 5/2, 6/2, 15/2/0.025 है. प्र. गै. मु. खाला कुल 0.759 है. दोनों खातों का योग 1.771 है, नहरी मय गै. मु. कृषि भूमि।

चक 14 बी.जी.पी. के. खाता सं. 118/104

2. रविन्द्र सिंह पुत्र डिप्टीसिंह जाति जटसिख साकिन भगतपुरा खातेदार, 3. गुरजिन्द्र सिंह पुत्र जगसीर सिंह जाति जटसिख निवासी भगतपुरा खातेदार प.नं. 179/154 मु. नं. 23 किला नं. 15/0253, प.नं. 180/154 मु.नं. 24 किला नं. 20/1/0.126 कुल रकबा 0.379 है. नहरी कृषि भूमि।

कृ.पू.उ.-2

सहायक कलक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी  
संगरिया

4. चक नं. 14 बी.जी.पी. के खाता सं. 118/104  
केहरसिंह पुत्र चुहड़सिंह जाति जटसिख निवासी भगतपुरा खातेदार प.नं. 179/154  
मु.नं. 24 किला नं. 20/2/0.127, 21/0.253 कुल रकबा 0.380 है. नहरी कृषि भूमि

5. चक नं. 14 बी.जी.पी. के खाता संख्या 123/35  
करणदीपसिंह पुत्र गुरलालसिंह जाति जटसिख निवासी भगतपुरा खातेदार (हरदेव  
सिंह पुत्र अजमेर सिंह व गुरलालसिंह पुत्र हरदेवसिंह दोनों पिता-पुत्र फौत हो चुके  
हैं व गुरलालसिंह का पुत्र व हरदेवसिंह के पोते की कब्जा काशत है) की कब्जा काशत  
का विवरण :- प.नं. 178/154 मु.नं. 22 किला नं. 13, 17, 18, 23, 24/0.253 है.  
प्र. 16/1, 25/1/0.228. 16/2/0.025 है. गै. मु. रास्ता, 25/2/0.025 है. गै.मु.  
रास्ता कुल 1.771 है, नहरी मय गै.मु. कृषि भूमि।

6. चक नं. 14 बी.जी.पी. खाता सं. 123/35  
गुरविन्द्र सिंह पुत्र हरदेव सिंह जाति जटसिख साकिन भगतपुरा खातेदार की कब्जा  
काशत का विवरण :- प.नं. 178/154 मु.नं. 22 कि.नं. 14/0.253, 15/1/0.228,  
15/2/0.025 है. ग.मु. रास्ता कुल 0.506 है. नहरी मय गै.मु. कृषि भूमि प.नं.  
179/155 मु.नं. 28 कि.नं. 2/1, 3/1, 4/1/0.228 है. प्र., 5/1/0.202, 2/2,  
3/2, 4/2/0.025 है. मय गै.मु. खाला, 5/2/0.051 गै. मु. खाला 8, 9/0.253 है.  
प्र. कुल 2.024 है. नहरी मय गै.मु. कृषि भूमि ।

7. चक नं. 14 बी.जी.पी. खाता सं. 123/35  
गुरनाम सिंह गुरमेल सिंह पि.जोगेन्द्र सिंह ब.हि.ब. जाति जटसिख साकिन भगतपुरा  
की कब्जा काशत का विवरण :- प.नं. 179/155 मु.नं. 28 कि.नं.10/0.253 कुल  
0.253 है. नहरी कृषि भूमि ।


8. चक नं. 14 बी.जी.पी. खाता सं. 123/35  
सुखसागर सिंह पुत्र तेजासिंह उर्फ तेजसिंह जाति जटसिख निवासी भगतपुरा की  
कब्जा काशत का विवरण :- प.नं. 180/158 मु.नं. 49 कि.नं. 1, 10/0.253 है.प्र. कुल  
0.506 है. कृषि भूमि ।

उक्तानुसार खाता विभाजन कर रकमराज अलग से कायम की जाकर उक्तानुसार  
राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे व अन्य प्रतिवादीगण का नाम कब्जा काशत के अभाव में  
नियमानुसार कलमजन किये जावे।

नोट :-यदि डिक्रीत वादी/प्रतिवादीगण हक आराजी बैंक रहन नहीं है तो अमल दरामद  
मुताबिक हक-हिस्सा किया जाये।

निज. ~~निल~~ मुब्लिक. ~~निल~~. ~~बावत~~. ~~निल~~ खर्चा मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी  
सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक ~~को~~ अदा करे। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना  
वहन करेगें।

बसब्त मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 7-7-2023 को जारी  
किया गया।



*(Handwritten Signature)*  
( रमेश देव )

सहायक कलक्टर  
एवं-उपखण्ड अधिकारी  
संगरिया